न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 18/2024

GCMS No. : 2024/28

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. श्री मनीष चौधरी पुत्र श्री नारायणलाल चौधरी जाति चौधरी निवासी 151 बापु नगर पाली मैसर्स मिल्क स्टेशन मानपुरा भाकरी पाली 2. निर्मल चौधरी पुत्र श्री भंवरलाल चौधरी जाति चौधरी निवासी 151 बापु नगर पाली मैसर्स मिल्क स्टेशन मानपुरा भाकरी पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित
2. अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 20.3.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 20.04.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मिल्क स्टेशन डेयरी प्लांट मानपुरा भाकरी पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम मनीष चौधरी बताया एवं स्वंय को फर्म का भागीदार होना बताया। प्लांट का निरीक्षण करने पर पाया कि डेयरी में रखे टेंकर में लगभग 300 लीटर दुध मिक्स भरा हुआ था जो आमजन को बेचने के लिए रखा हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर सरकारी जांच हेतु मिक्स दुध का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर कि जिसके लिए दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर स्वतत्रं गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजुद नही होने से साथ आये कम्प्युटर ऑपरेटर ओमप्रकाश प्रजापत कार्यालय हाजा को गवाह बना कर हस्ताक्षर करवाये, जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया कि मिक्स दुध का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 02 लीटर मिक्स दुध वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 120/–रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा मिक्स दुध को खाली सुखे चार सुटेबल कंटेनर में बराबर भागो में भरकर नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–1810 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमुना संख्या आर–1810 के संबध में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1107/एक्ट/2023/1148 दिनांक 09.05.2023 के अनुसार Sub-Standard पाया गया, जिसकी सुचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub standards मिक्स का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थीगण ने वक्त बहस अपना लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हमारे प्लांट दुध प्रसंस्करण संयत्र से एकत्र किए गये दुध टैंक से नमुना लिया था, साथ ही घी का नमुना भी लिया था जो खाद्य सुरक्षा मानको के अनुसार पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिस टेंकर से मिक्स दुध का नमुना लिया गया वह डबल टोंड दुध (फेट 1.5 एसएनएफ 9.0) बनाने के लिए संसाधित किया जा रहा था जो आम जन को बिक्री के लिए तैयार किया जा रहा था जो वक्त नमुना लेते समय तैयार नही था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्लांट ने लिया गया मिक्स दुध का नमुना में फैट के अलावा कोई कमी नही पायी गयी है। हमारी कम्पनी मिल्क स्टेशन मंत्र फुड एंड बेवरेजेज किसी भी प्रकार के अवमानक एवं मिलावटी उत्पाद का उत्पादन नही करती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.04.2023 को अप्रार्थी के प्लांट से मिक्स दुध वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1810 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की प्लांट से वास्ते जांच लिये गये मिक्स दुध का नमुना कोड संख्या आर–1810 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण के प्लांट से लिया गया मिक्स दुध का नमुना अवमानक स्तर (Sub-standards) पाया गया। जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक स्तर (Sub-standards) मिक्स दुध का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 5000/– अक्षरे पांच हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

निर्णय आज दिनांक 20/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली